

[illegible]

23

- 3

Scanned by CamScanner

प्रयोजनार्थ बेसमेंट (पार्किंग) + भूतल + दो तल की भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जाये।

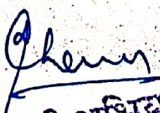
स्वीकृति-पत्र में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्निरोधी संयंत्र की व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम, पार्किंग स्थल का समर्पण एवं ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था, आवश्यक जल क्षमता एवं विद्युत लोड उपलब्धता विकासकर्ता स्वयं द्वारा करवाये जाने तथा यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा जारी रेरा (RERA) के नियमों की पालना की जाने जैसी शर्तों का उल्लेख किया जाये। आवेदक को नियमानुसार समर्पण-पत्र, परिवहन पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र, शपथ-पत्र, तकनीकीविज्ञ का अण्डरटेकिंग, स्ट्रक्चर इंजिनियर का प्रमाण-पत्र एवं अमानत राशि हेतु नकद/बैंक गारन्टी आदि भवन निर्माण स्वीकृति जारी होने से पूर्व न्यास में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार श्रम विभाग को देय सेस राशि जमा करवानी होगी।

XIV. EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ निर्माण स्वीकृति के संबंध में :-

28. राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘ए’ में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 15000.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति के संबंध में। प्रार्थी/विकासकर्ता-मैसर्स अरोमा रियल्टीज लि. अहमदाबाद।

राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘ए’ में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 15000.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति हेतु मैसर्स अरोमा रियल्टीज लि. अहमदाबाद द्वारा दिनांक 28-08-2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 15000.00 वर्गमीटर के 75 प्रतिशत क्षेत्रफल 11250.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रस्तावित किये गये हैं तथा 25 प्रतिशत क्षेत्रफल 3750.00 वर्गमीटर डवलपर्स हेतु आरक्षित किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु भूतल + तीन तल की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। जिसमें LIG फ्लेट्स हेतु कुल 08 ब्लॉक में 128 फ्लेट्स तथा EWS फ्लेट्स हेतु कुल 13 ब्लॉक में 208 फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। इस प्रकार EWS/LIG के कुल 336 फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है।

उक्त EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के सामने उत्तर दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क एवं पूर्व दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा डवलपर्स हेतु आरक्षित भूखण्ड के सामने पश्चिम दिशा में 100 फीट चौड़ी सड़क एवं उत्तर दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।


अधिकांशी अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

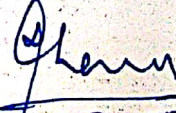
भूखण्ड पर निर्माण बाधक तकनीकी मानदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

	मुख्यमंत्री जन-आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार मानदण्ड	आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड	भिन्नता
(i) आच्छादित क्षेत्र	50.00 प्रतिशत	32.20 प्रतिशत	--
(ii) सेटबैकस सामने	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
पीछे	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
पार्श्व-1 (पूर्व दिशा में)	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
पार्श्व-2 (पश्चिम दिशा में)	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
(iii) एफ ए आर	मानक - 1.33 अधिकतम - 2.25	1.24	
(iv) आवश्यक पार्किंग तथा आगुन्तकों के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त ई सी यु	LIG फ्लेट्स हेतु 256 टू-व्हीलर, EWS फ्लेट्स हेतु 208 टू-व्हीलर, कुल आवश्यक पार्किंग-464 टू-व्हीलर	उपलब्ध एवं मार्कड कुल पार्किंग :- 537 टू-व्हीलर	
(V) ऊंचाई	33.00 मीटर	भूतल सहित 12.66 मीटर	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूतल पर व्यावसायिक भवन हेतु कुल क्षेत्रफल - 81.00 वर्गमीटर तथा भूतल पर सुविधाएँ हेतु कुल क्षेत्रफल- 81.40 वर्गमीटर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में EWS/LIG के कुल 336 (EWS - 208, LIG -128) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भूतल + तीन तल की निर्माण स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :- समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘ए’ में स्थित भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में EWS/LIG के कुल 336 (EWS - 208, LIG -128) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भूतल + तीन तल के मानचित्र की निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।


अधिशाली अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

29. राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-सी में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 12587.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति के संबंध में। पार्थी/विकासकर्ता-मैसर्स अरोगा रियल्टीज लि. अहमदाबाद।

राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-सी में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 12587.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति हेतु मैसर्स अरोगा रियल्टीज लि. अहमदाबाद द्वारा दिनांक 28-08-2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 12587.00 वर्गमीटर के 75 प्रतिशत क्षेत्रफल 9440.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रस्तावित किये गये हैं तथा 25 प्रतिशत क्षेत्रफल 3147.00 वर्गमीटर डवलपर्स हेतु आरक्षित किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु भूतल + तीन तल की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। जिसमें LIG फ्लेट्स हेतु कुल 06 ब्लॉक में 96 फ्लेट्स तथा EWS फ्लेट्स हेतु कुल 12 ब्लॉक में 192 फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। इस प्रकार EWS/LIG के कुल 288 फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है।

उक्त EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के सामने पश्चिम दिशा में 100.00 फीट चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा डवलपर्स हेतु आरक्षित भूखण्ड के सामने पश्चिम दिशा में 100 फीट चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।

भूखण्ड पर निर्माण बावत् तकनीकी मानदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

	मुख्यमंत्री जन-आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार मानदण्ड	आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड	भिन्नता
(i) आच्छादित क्षेत्र	50.00 प्रतिशत	32.23 प्रतिशत	-
(ii) सेटबैक्स			
सामने	06.00 मीटर	09.00 मीटर	
पीछे	03.00 मीटर	न्यूनतम 05.00 मीटर	
पार्श्व-1 (दक्षिण दिशा में)	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
पार्श्व-2 (उत्तर दिशा में)	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
(iii) एफ ए आर	भानक - 1.33 अधिकतम - 2.25	1.24	
(iv) आवश्यक पार्किंग तथा आगुन्तकों के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त ई सी यु	LIG फ्लेट्स हेतु 192 टू-व्हीलर, EWS फ्लेट्स हेतु 192 टू-व्हीलर, कुल आवश्यक पार्किंग-384 टू-व्हीलर	उपलब्ध एवं मार्कड कुल पार्किंग :- 389 टू-व्हीलर	

bpc_proceeding_(06_09_2018)Page 77

Office Address: Saheli Marg, Udaipur (Raj) Phone No. 0294-2414735 Website: www.udaipur.nagar.ni


अधिसाची अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

जमीन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूतल पर व्यावसायिक गवन हेतु कुल क्षेत्रफल 63.00 वर्गमीटर तथा भूतल पर सुविधाएँ हेतु कुल क्षेत्रफल— 81.40 वर्गमीटर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

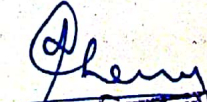
पकरण में प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में EWS/LIG के कुल 288 (EWS - 192, LIG - 96) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भूतल + तीन तल की निर्माण स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :- समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘सी’ में स्थित भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में EWS/LIG के कुल 288 (EWS - 192, LIG - 96) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भूतल + तीन तल के मानचित्र की निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

30. राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘बी+डी’ में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति के संबंध में। प्रार्थी/विकासकर्ता-मैसर्स अरोमा रियल्टीज लि. अहमदाबाद।

राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-‘बी+डी’ में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ मानचित्र स्वीकृति हेतु मैसर्स अरोमा रियल्टीज लि. अहमदाबाद द्वारा दिनांक 28-08-2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर के 75 प्रतिशत क्षेत्रफल 12150.00 वर्गमीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स प्रस्तावित किये गये हैं तथा 25 प्रतिशत क्षेत्रफल 4050.00 वर्गमीटर डवलपर्स हेतु आरक्षित किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु भूतल + तीन तल की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। जिसमें ब्लॉक-‘बी’ में LIG फ्लेट्स हेतु कुल 08 ब्लॉक में 128 फ्लेट्स तथा EWS फ्लेट्स हेतु कुल 13 ब्लॉक में 208 फ्लेट्स के साथ ही ब्लॉक- ‘डी’ में भूतल+प्रथम तल के 03 ब्लॉक में 24 EWS फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है। इस प्रकार दोनो ब्लॉक्स में EWS/LIG के कुल 360 फ्लेट्स की निर्माण स्वीकृति चाही गई है।

उक्त EWS/LIG आवासीय फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित भूखण्ड ब्लॉक ‘बी’ क्षेत्रफल 12150.00 वर्गमीटर के सामने दक्षिण दिशा में 60.00 फीट चौड़ी सड़क एवं पूर्व


अधिकांश अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

दिशा में 60.00 फीट सातवां चतुर्थ प्रस्तावित है तथा ऊपरी से हेतु आरंभित पूर्ण
क समान पश्चिम दिशा में 100 फीट चौड़ा सड़क एवं दक्षिण दिशा में 60.00 फीट
चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।

भूखण्ड पर निर्माण वास्तु तकनीकी मानदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

	मुख्यमंत्री जन-आवास योजना 2015 के प्रावधान अनुसार मानदण्ड	आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड	गिनता
(i) आच्छादित क्षेत्र	50.00 प्रतिशत	33.14 प्रतिशत	--
(ii) सेंटवेक्स			
सागरे	03.00 मीटर	09.00 मीटर	
पीछे	03.00 मीटर	न्यूनतम 06.00 मीटर	
पार्श्व-1 (पूर्व दिशा में)	03.00 मीटर	09.00 मीटर	
पार्श्व-2 (पश्चिम दिशा में)	03.00 मीटर	06.00 मीटर	
(iii) एफ ए आर	मानक - 1.33 अधिकतम - 2.25	1.22	
(iv) आवश्यक पार्किंग तथा आगुन्तकों के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त ई सी यु	LIG फ्लेट्स हेतु 256 टू-व्हीलर, EWS फ्लेट्स हेतु 232 टू-व्हीलर, कुल आवश्यक पार्किंग-488 टू-व्हीलर	उपलब्ध एवं मार्कड कुल पार्किंग :- 524 टू-व्हीलर	
(v) ऊंचाई	33.00 मीटर	भूतल सहित 12.66 मीटर	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूतल पर व्यावसायिक भवन हेतु कुल
क्षेत्रफल - 81.00 वर्गमीटर तथा भूतल पर सुविधाएँ हेतु कुल क्षेत्रफल- 81.40
वर्गमीटर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए
(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में ब्लॉक- 'बी' में LIG फ्लेट्स हेतु कुल 08
ब्लॉक में 128 फ्लेट्स तथा EWS फ्लेट्स हेतु कुल 13 ब्लॉक में 208 फ्लेट्स के
साथ ही ब्लॉक- 'डी' में भूतल+प्रथम तल के 03 ब्लॉक में 24 EWS फ्लेट्स की
निर्माण स्वीकृति चाही गई है। इस प्रकार दोनों ब्लॉक्स में EWS/LIG के कुल 360
(EWS - 232, LIG -128) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ भूतल + तीन तल की निर्माण
स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

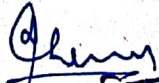
bpc_proceeding_(06_09_2018)Page 79

Office Address : Saheli Marg, Udaipur (Raj.) Phone No. 0294-2413735 (O) website : www.uitudaipur.org
E-mail : uitudaipur@rediffmail.com


अधिशायी अभिव्यक्ति
नगर विकास प्रशास
उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

निर्णय :- समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 28-12-2017 में राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 की न्यास भूमि में पूर्व से काबिज अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 14 परिवार जो कि उमरडा गाँव के मूल आदिवासी हैं एवं समस्त परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के होकर वगुशकिल अपना जीवन यापन कर रहे, को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक ऐसे वर्गों के आवासीय परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के गन्धनजर इन 14 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में भूतल + प्रथम तल स्तर के भवन पृथक से निर्मित किये जाकर नियमानुसार देय राशि पर इसी योजना क्षेत्र में पुनर्वासित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। न्यास की सामान्य बैठक के निर्णय की अनुपालना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत ब्लॉक 'बी+डी' हेतु EWS/LIG के कुल 360 (EWS - 232, LIG -128) आवासीय फ्लेट्स की प्रस्तावित योजना क्षेत्र में पूर्व से काबिज परिवारों को इस योजना क्षेत्र में पुनर्वासित हेतु पृथक से ब्लॉक-डी में भूतल + प्रथम स्तर के कुल 24 EWS फ्लेट्स दर्शाये जाकर योजना क्षेत्रफल की गणना केवल ब्लॉक-बी, क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर अनुसार ही की जाकर तदनुसार आवासीय फ्लेट्स हेतु 75% एवं विकासकर्ता हेतु 25% आरक्षित क्षेत्रफल अनुसार ही बिड आमंत्रित की गयी है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम उमरडा के खसरा संख्या 7593, 7594, 7595, 7623, 7624, 7676 एवं 7588 से 7592 में ब्लॉक-'बी+डी' में स्थित भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4-ए (i) के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र के क्रम में EWS/LIG के कुल 360 (EWS - 232, LIG -128) आवासीय फ्लेट्स जिसमें ब्लॉक-'बी' में LIG फ्लेट्स हेतु कुल 08 ब्लॉक में 128 फ्लेट्स तथा EWS फ्लेट्स हेतु कुल 13 ब्लॉक में 208 फ्लेट्स हेतु भूतल+तीन तल एवं ब्लॉक-'डी' में 03 ब्लॉक में 24 EWS फ्लेट्स हेतु भूतल + प्रथम तल के मानचित्र की निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने के साथ ही ब्लॉक-डी में निर्मित किये जाने वाले 24 फ्लेट्स जिसमें न्यास निर्णय अनुसार पूर्व से काबिज परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है, की निर्माण लागत उपरोक्त बिड में विकासकर्ता मैसर्स अरोमा रियलिटीज लिमिटेड द्वारा प्राप्त हुई न्यूनतम निविदा दर राशि रु. 855.00 प्रति वर्गफीट सुपर बिट्टअप एरिया की दर से न्यास द्वारा पृथक से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। न्यास द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में दर्शित 25 प्रतिशत आरक्षित क्षेत्र जो कि 60 फीट सड़क पर कॉर्नर के रूप में स्थित था, को प्रार्थी द्वारा प्रेषित मानचित्र में 100 फीट एवं 60 फीट सड़क के कॉर्नर के रूप में दर्शाया गया है। अतः उक्त 25 प्रतिशत आरक्षित क्षेत्रफल को 60 फीट सड़क से 100 फीट सड़क पर दर्शित करने पर उक्त क्षेत्र की डी.एल.सी. राशि में आए परिवर्तन को जमा कराने के पश्चात् ही लीज-डीड जारी की जावेगी। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित मानचित्र में दर्शित 25 प्रतिशत आरक्षित क्षेत्रफल को एक ही स्थान यथा 100 फीट सड़क पर लाने से


अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

भविष्य में उक्त आरक्षित भूमि पर आने वाले आवश्यक नियोजित काम से विकसित किये जा सकेंगे जो सुनियोजित विकास की दृष्टि से उचित होगा।

अन्त में बैठक सधन्यताद समाप्त हुयी।

01/10/18
(अ. शर्मा)

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

01/10/18
(उज्जवल रांटीड) I.A.S.

सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

01/10/18
(रवीन्द्र श्रीगाली)
अध्यक्ष

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांक: F-7 ()B-PLAN/MISC./ 835-839

दिनांक : 01/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
5. तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
6. प्रोग्रामर, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को न्यास वेबसाइट पर अपलोड करन हेतु। (शीर्षक - भवन मानचित्र समिति कार्यवाही विवरण)।

01/10/18
उप नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

अधिशोषी अभियन्ता
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)